बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि॰ पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या: 82 -- बी॰ एस॰ एम॰ एफ॰ सी॰, / पटना, दिनांक: 15/01/18

स्वीकृत्यादेश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप संख्या-3060 दिनांक-03.012.2016 (पृ0-...../प0) के आलोक में राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक - 03.04.2017 एवं 21.04.17 को चयनित प्रक्षेत्रवार आवेदकों में से निम्नाकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा **सारण** जिला के त्रुटिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निस्पादित कराकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 01 लाभुक को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतेय के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	चयन सूची क्र॰सं॰	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	09	RAJ KUMAR, S/o- BABAN PRASAD, Vill.-SHITALPUR BAZAR, Block-DIGHWARA, PS-DIGHWARA, PO-SHITALPUR, Distt.-CHAPRA-841221	A/c No.:- 44300100000506	GENERAL STORE	200000	1000	199000
				TOTAL	**200000**	**1000**	**199000**

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पतियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षो में वापस किया जाना है ।

15/1/18

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक: 82 ----- दिनांक: 15/01/18

प्रतिलिपि:-जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सारण(छपरा)/सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/ लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रमण्डलीय प्रभारी	प्रशासी पदाधिकारी	सचिव	प्रबंध निदेशक

D:\NAUSHAD\SARAN\SARAN- 16,17 Sanction Order